फर्द अहकाम

जितेन्द्र बनाम ईकुराम

न्यायालय

केस संख्या 11/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/11/23	प्रसाइडिंग [illegible] /अवकाश पर [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/24 को पेश हो। sd	
	8/1/24	उ०क० अनुपस्थित तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात दिनांक 25/1/24 को पेश हो। sd	
	25/1/24	उ०क० अनुपस्थित कुर्रेजात अप्राप्त/ पुनः तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 5/2/24 को पेश हो।	
	5/2/24	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 7/2/24 को पेश हो। sd	
	7/2/24	उ०क० अनुपस्थित रिपोर्ट तहसील पेश हुई। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के मुताबिक विवादित आराजी का वर्तमान में उपयोग आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय [illegible] से लिखवाया जाकर शामिल [illegible] डिक्री [illegible] के स्वत्व शुमार होकर इन्द्राज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। sd	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–71/16

उनवान

जितेन्द्र पुत्र नाथूराम, जाति खटीक, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. देबूराम पुत्र परताराम, जाति बैरवा,
2. शंकर पुत्र कानाराम जाति धोबी,
3. कालू पुत्र गणेशनारायण, जाति बुनकर,
4. रामकिशोर पुत्र भूराराम, जाति धोबी,
5. बनवारीलाल पुत्र भूराराम, जाति धोबी,
6. सुरेश कुमार पुत्र दानाराम, जाति धोबी,
7. नाथूलाल पुत्र नन्दाराम, जाति रैगर,
8. मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति रैगर,
9. घनश्याम पुत्र बाबुलाल, जाति खटीक,
10. राजाराम पुत्र घींसाराम, जाति बलाई,
11. भूरी बेवा भूराराम, जाति बलाई,
12. मूलचन्द पुत्र भूराराम, जाति बलाई,
13. भगवानसहाय पुत्र मुरली, जाति बलाई,
14. बनवारीलाल पुत्र रामदेव, जाति रैगर,
15. नारायणलाल पुत्र लाखाराम, जाति रैगर
16. बनवारीलाल पुत्र रामधन, जाति रैगर,
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र भागीरथ, जाति रैगर,
18. बनवारीलाल पुत्र छीतरमल रैगर, जाति रैगर,
    समस्त निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
20. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषैधाज्ञा

अधीन धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 09.02.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 18 की शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या नया 493 आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/2399 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/2398 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 11 का कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर व खाता संख्या 182

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 6/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर है। जिसमें खाता संख्या 493 में वादी का हिस्सा 2200/15383 भाग दर हिस्सा 3373/7268 भाग व खाता संख्या 182 में वादी का हिस्सा 957/1144 भाग दर हिस्सा 1540/13634 भाग है। वादी के हिस्से के अतिरिक्त शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 का है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 18 की शामलाती कृषि भूमि है। जिसका विधवत् कानूनी विभाजन नहीं किया गया है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 18 को कहा कि भूमि विवादग्रस्त शामलाती कृषि भूमि का विधिवत् तकासमा करवा कर पृथक से स्वयं के नाम अलग–अलग पर्चा लगान कायम करवा लेवें परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 18 हमेशा ही वादी की उक्त बात को नजर अन्दाज करते रहें है क्योंकि उनकी नियत बदल गई और भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो गयें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 18 की नियत में खोट आ जाने के कारण वो भूमि विवादग्रस्त को बिना विधिवत तकासमा करवायें अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो गयें और मौके पर अजनबी व्यक्तियों को लाकर भूमि बेचान, हस्तान्तरण करने के लिए दिखानें लगे, तथा शामलाती कृषि भूमि में विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं। इस विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 10.05.2011 को उक्त प्रतिवादीगण व इनके साथ अन्य अजनबी 4–5 व्यक्ति मौके पर वादी की कब्जे उपयोग उपभोग की भूमि को विक्रय के हिसाब से देखने पर आने पर वादी द्वारा एतराज किया कि भूमि का विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। इस पर प्रतिवादीगण वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण की उक्त विधि विरुद्ध हरकतो से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादीगण जोर–जबरदस्ती से लठ्ठ के बल पर वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की शामलाती कृषि भूमि को बिना विधिवत तकासमा करवायें बेचान हस्तानान्तरण अन्य दीगर व्यक्ति को कर देंगे जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक प्रस्तेक इंच ऑफ लेण्ड पर सहखातेदार काश्तकार का कब्जा काश्त होता है। जब तक की उसका विधिवत तकासमा नहीं हो जाता तथा पृथक से पर्चा लगान अलग–अलग कायम नहीं हो जाता है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अपनी गैरकानूनी हरकतों से बाज नहीं आयें।

वादी ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि भूमि विवादग्रस्त में वादी के हिस्से की भूमि का पृथक से तकासमा (बटवारा) करके पृथक से पर्चा लगान कायम कारवायें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण शामिल डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवायें किसी भी विशिष्ट भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण रहन अन्य दीगर व्यक्तियों को न ही करें, ना हीं विशिष्ट भू–भाग पर कोई निर्माण कार्य ही करें, तथा वादी के हिस्से की कृषि भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जोर–जबरदस्ती से बेदखल करें, प्रतिवादीगण संख्या 19 को इस कदर पाबन्द फरमाया जावें की उक्त आराजीयात् के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेख पत्र, विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करें, प्रतिवादीगण संख्या 20 उक्त के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें उक्त कार्यवाही ना ही तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं के मौका निरीक्षण करने पर पाया गया की मौके पर सम्पूर्ण खातेदारी भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। मौके पर सम्पूर्ण रकबे में व्यावसयिक दूकाने, काम्पलेक्स व आवासीय मकान बने हुए है। इसलिए कर्रेजात रिपोर्ट बनाया जाना सम्भव नहीं है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है। लेकिन विवादित भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जिससे उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा०ट्रै०)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

जितेन्द्र पुत्र नाथूराम, जाति खटीक, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. देबूराम पुत्र परताराम, जाति बैरवा,
2. शंकर पुत्र कानाराम जाति धोबी,
3. कालू पुत्र गणेशनारायण, जाति बुनकर,
4. रामकिशोर पुत्र भूराराम, जाति धोबी,
5. बनवारीलाल पुत्र भूराराम, जाति धोबी,
6. सुरेश कुमार पुत्र दानाराम, जाति धोबी,
7. नाथूलाल पुत्र नन्दाराम, जाति रैगर,
8. मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति रैगर,
9. घनश्याम पुत्र बाबुलाल, जाति खटीक,
10. राजाराम पुत्र घींसाराम, जाति बलाई,
11. भूरी बेवा भूराराम, जाति बलाई,
12. मूलचन्द पुत्र भूराराम, जाति बलाई,
13. भगवानसहाय पुत्र मुरली, जाति बलाई,
14. बनवारीलाल पुत्र रामदेव, जाति रैगर,
15. नारायणलाल पुत्र लाखाराम, जाति रैगर
16. बनवारीलाल पुत्र रामधन, जाति रैगर,
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र भागीरथ, जाति रैगर,
18. बनवारीलाल पुत्र छीतरमल रैगर, जाति रैगर,
    समस्त निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
20. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषैधाज्ञा

अधीन धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं0:–71 / 16 निर्णय दिनांक:– 09.02.2024

Signature Not Verified

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या नया 493 आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/2399 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/2398 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 11 का कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर व खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 6/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि आवासीय व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जिससे उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूं

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner